

Form No. III

फर्द अहकाम

नियम 25

उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना
 खनाम शोहिताशा सिंह
 अर्चना-पत्र 212 क्र. 14 नं. 144 मं. 20.24

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर या तारीख
 अहकाम जो इस
 हुकम की तामील
 में जारी हुए

23-5-24 आज यह अर्चना-पत्र मूल वाद के साथ पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर है। अर्चीगण के वकील उप०। अर्चीगण की एक पक्षिगवहल सुनी गई। प्रस्तुत इस्तविजाह का आवलोजन किया गया। अर्चीगण का प्रकरण प्रथम दृष्टया खता है सुविधा का संतुलन व अपूर्ण अक्षति नी अर्चीगण के पत्र में देना उचित होता है।

अतः- अर्चीगण को आगामी तारीख पेश तब अस्थाई निषेधाज्ञा-वन्दरीजा से पाबन्द किया जाता है। कि वे विवादित-आराज स्वसरा नं० हाज 364, 366, 367, 368, 369, 481, कोके गाम गुगलकोटा तह० नीमराना जिला कोटपूतली, परसोड राज० के मौफा एवं रिपोर्ट की यथास्थिति बनाए रखे। वशौना उक्त अदेश तर्फे सला वाड मफुह कार दिमा जावे। इस संबंध में जोईमापलक हो तो आप स्वयं अत्रवा जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आफर आपना जबाब पेश पेश करे। अर्चीगण जरिये रजि० नोटिस तपवाना से तपव हो। अर्ची रजि० तपवाना पेश करे। अर्ची यदि आगामी सिद्धि से पूर्व रजि० नोटिस तपवाना पेश करने में विफल रहता है तो उक्त अदेश अपास्त माना जाएगा। पत्रवली वास्ते रजि० तपवी दिनांक 27-6-24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
 नीमराना (कोटपूतली-परसोड)

कालीय हकूम

27/8/29 आज यह पत्रावली पेश हुई... को
वकील उपस्थित है... को समय
पाहते है। पत्रावली वास्तो... को पेश है।
दिनांक ... को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड)

27/8/29

आज यह पत्रावली पेश हुई... को
वकील उपस्थित है... को समय
पाहते है। पत्रावली वास्तो... को पेश है।
दिनांक ... को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड)

27/10/24

आज यह पत्रावली पेश हुई... को
वकील उपस्थित है... को समय
पाहते है। पत्रावली वास्तो... को पेश है।
दिनांक ... को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड)